कार्यालय आयुक्त,
गन्ना एवं चीनी, उत्तर प्रदेश,
17 न्यू बेरी रोड, डालीबाग, लखनऊ।
E Mali- statecane@gmail.com

पत्र संख्याः 564/समिति दिनांक 29 मई, 2019

समस्त क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

बिषयः सहकारी गन्ना समितियों में स्वच्छ पेयजल एवं सार्वजनिक शौचालय की सुविधा उपलब्ध होने के सम्बन्ध में।

जैसाकि आप अवगत हैं कि गन्ना समितियां किसानों की पंजीकृत संस्था हैं, जिसमें गन्ना कृषकों का प्रायः आवागमन बना रहता है। गन्ना कृषकों, समिति में कार्यरत कर्मचारियों एवं संस्था से जुडे अन्य लोगों के लिए पीने हेतु स्वच्छ पेयजल एवं शौचालय की सुविधा सर्वथा आवश्यक होती है। प्रमुख सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास द्वारा पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश किये गये भ्रमण एवं गन्ना समितियों के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि कतिपय गन्ना समितियों में तो स्वच्छ पेयजल एवं सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था है, किन्तु कतिपय समितियों में स्वच्छ पेयजल एवं सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था नहीं है। चूँकि इन समितियों में हजारों कृषक सदस्य होते हैं इसलिए यह आवश्यक है कि, इन समितियों में स्वच्छ पेयजल एवं सार्वजनिक शौचाालय की व्यवस्था होनी ही चाहिए।

सहकारी गन्ना समितियां स्ववित्त पोषित एवं स्वायत्तशासी संस्थाएं हैं। सहकारी गन्ना समितियां कृषि निवेशों की व्यवस्था विभिन्न आपूर्तिकर्ता फर्मों से कराती हैं तथा अपनी बचत से विभिन्न फण्डों की धनराशि को बैंकों में एफ.डी.आर. के रूप में विनियोजित करती हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कतिपय सहकारी गन्ना समितियों के सचिवों द्वारा विशेष प्रयास कर अपने सहयोगी बैंकों के सी.एस.आर. फण्ड से स्वच्छ पेयजल की सुविधा हेतु वाटर कूलर एवं आर.ओ./एक्वागार्ड लगाये गये हैं, किन्तु कतिपय समितियों द्वारा इस सुविधा का लाभ अपने सहयोगी बैंकों से प्राप्त नहीं किया जा रहा है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि, संस्था के मुख्य कार्यपालक अधिकारी में कुशल नेतृत्व की कमी है।

प्रत्येक गन्ना समिति में स्वच्छ पेयजल एवं सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था हेतु सर्वप्रथम गन्ना समितियां कृषि निवेश आपूर्ति करने वाली फर्मों एवं अपने सहयोगी बैंकों के माध्यम से अथवा चीनी मिलों के सहयोग से उपरोक्त दोनों व्यवस्थायें प्राथमिकता पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा जिन गन्ना समितियों की आर्थिक स्थिति अत्यधिक कमजोर है एवं वे न तो अपनी व्यवस्था से और न ही अपने सहयोगी बैंकों व चीनी मिलो के सहयोग से उक्त व्यवस्था नहीं कर पा रही हैं, तथा जिन सहकारी गन्ना समितियों में

स्वच्छ पेयजल एवं सार्वजनिक शौचालय की सुविधा उपलब्ध है, के सम्बन्ध में सूचना निम्न प्रारूप पर उपलब्ध करावें।

क्र. सं.	नाम समिति	वाटर कूलर एवं एक्वागार्ड की सुविधा उपलब्ध है अथवा नहीं।		समिति में स्वच्छ पेयजल एवं सार्वजनिक शौचालय की सुविधा उपलब्ध न होने का कारण।	स्वच्छ पेयजल एवं सार्वजनिक शौचालय हेतु समिति के पास भूमि उपलब्ध है अथवा नहीं।	वाटर कूलर एवं आर.ओ./एक्वागार्ड तथा सार्वजनिक शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराने वाली सहयोगित संस्था का नाम	
		वाटर कूलर एवं आर.ओ. /एक्वागार्ड	सार्वजनिक शौचालय			वाटर कूलर एवं आर.ओ. /एक्वागार्ड	सार्वजनिक शौचालय
1	2	3	4	5	6	7	8

(डा.वी.बी.सिंह)
संयुक्त गन्ना आयुक्त(समिति)
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: /सी/समिति तद्दिनांक–

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त जिला गन्ना अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त सचिव, सहकारी गन्ना समितियां, उत्तर प्रदेश।

(डा.वी.बी.सिंह)
संयुक्त गन्ना आयुक्त(समिति)
उत्तर प्रदेश।